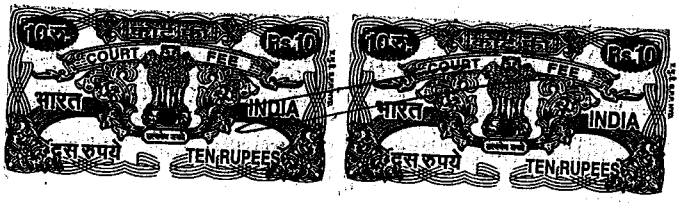

10रु. COURT FEE Rs10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Rs. 20/-

527
3.9.14

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल (म.प्र.) ग्वालियर

रिव्यू 3384-III/14 पुनर्विलोकन क्र. / 2014

1. मोहम्मद न्याजुल्ला तनय खुदा बक्स निवासी मोहल्ला घोघर रीवा तहसील-हुजूर, जिला-रीवा (म.प्र.)

- आवेदक

विरुद्ध

1. श्रीमती रुकसाना बानो पति स्व. सफी उल्ला निवासी मोहल्ला घोघर रीवा तहसील-हुजूर, जिला-रीवा (म.प्र.)
2. म.प्र. राज्य

- अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दिनांक 03-9-14 प्रस्तुत किया गया।

क्रमांक 3094 हाईकोर्ट कोर्ट रीवा
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ____ को प्राप्त 22-9-14

पुनर्विलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर, निगरानी प्रकरण क्र. 3739/ III /13 दिनांक 22.08.2014

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण से संबंधित तथ्य :-

अ. व्यवहार न्यायालय के निर्णय व आज्ञप्ति के अनुरूप आवेदक मोहम्मद न्याजुल्ला ने नजूल तहसीलदार रीवा के न्यायालय में नामांतरण बावत् आवेदन प्रस्तुत किया था जो कि व्यवहार न्यायायल के निर्णय व निष्कर्ष के विपरीत नजूल तहसीलदार ने दिनांक 20.01.2011 को आदेश पारित किया तदनुसार आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी (नजूल) रीवा के न्यायालय में अपील दायर किया जिसका अपील प्रकरण क्र. 10 अ 6/अपील/09-10 था। जो दिनांक 28.09.2011 को निरस्त की गई।

ब. उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक न्याजुल्ला ने आयुक्त रीवा के न्यायालय में अपील दायर किया जो अपील प्रकरण क्र. 32/अपील/11-12 के आदेश दिनांक 10.12.2012 के द्वारा अपील स्वीकार करके प्रकरण नजूल तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया कि **''व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिपेक्ष में विधि अनुसार परीक्षण करके उचित आदेश पारित करें''** साथ ही ऐसा भी निर्देश दिया कि दीवानी न्यायालय के आज्ञप्ति के साथ संलग्न नजरी नक्शा में छेड़छाड़ करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति /अधिकारी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने सम्बन्धी समुचित कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जाय।

स. निगरानी कर्ता ने उक्त आदेश दिनांक 10.12.2012 के विरुद्ध छलकपट व बनावटी तौर पर निम्नानुसार दो अलग-अलग कार्यवाही किया।

मोहम्मद न्याजुल्ला

P.T.O.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 3384–तीन/14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2015	आवेदक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22–8–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण 2 आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या नई बात नहीं बताई गई, जो विचाराधीन आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सके थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है जो विश्लेषण में छूटी हो एवं जो तर्क	

माहे: न्यायुक्त / ...

(23)

रिव्यू/3364/III/14 रीवा

आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये है तथा जो बिन्दु उनके द्वारा पुर्नविलोकन मेमो में अंकित किए गये है उन पर विचारोपरान्त तथा अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि उठाये गये बिन्दुओं पर पूर्वाधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 22–8–2014 में विस्तृत विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का आवेदक द्वारा प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य